



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022021-225124
CG-DL-E-12022021-225124

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]
No. 66]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2021/माघ 23, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2021/MAGHA 23, 1942

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2021

फा. सं. 12013/01/2019-क्यू.ए.—खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या कां०आ०97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(1) सारणी-2 में, क्रम संख्या 15 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम	एतद्दीन परिभाषित परीक्षण के विस्तार के अनुसार पूरे भारत में
(1)	(2)	(3)
"16.	निदेशक, सेंटर फॉर फूड रिसर्च एंड एनालिसिस (सी एफ़ आर ए), एन आई एफ़ टी इ एम्, सोनीपत प्लॉट संख्या 97, सेक्टर-56, एच एस आई आई डी सी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा -131028	अनाज और अनाज उत्पाद, खाद्य तेल और वसा, फल और सब्जियों के उत्पाद, नट और नट उत्पाद, जल, पेय (डेयरी, सब्जी और फल आधारित से भिन्न) का भौतिक रसायनिक संरक्षात्मक पैरामीटर सम्बंधित विक्षेपण।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./501/2020-21]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का०आ०97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

- (1) का०आ० 3695 (अ), तारीख 20 नवंबर, 2017;
- (2) का०आ० 3827 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2018
- (3) का०आ० 696 (अ), तारीख 31 जनवरी, 2019 और
- (4) का०आ० 1137 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2019।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2021

F. No. 12013/01/2019-QA .—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 97(E) dated the 10th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 12th January, 2017, namely: —

- (1) In TABLE – 2, after serial number 15, the following entries shall be inserted in the respective columns, namely, -

Serial No.	Name of the Referral Food Laboratory	All over India – as per Scope of Testing defined hereunder
(1)	(2)	(3)
16	Director, Centre for Food Research and Analysis (CFRA), NIFTEM, Sonipat Plot No. 97, Sector-56, HSIIDC, Industrial Estate, Kundli, Sonipat, Haryana-131028	Physico - chemical analysis and safety parameters of Cereals and cereal products, Edible oils and fats, Fruit and vegetable products, Nut and nut Products, Water, Beverages other than Dairy and Fruits and vegetable based),

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./501/2020-21]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 97 (E), dated the 10th January, 2017 and subsequently amended vide

- (i) S.O. number 3695(E), dated the 20th November, 2017;
- (ii) S.O. number 3827(E), dated the 31st July, 2018;
- (iii) S.O. number 696(E), dated the 31st January, 2019; and
- (iv) S.O. number 1137(E), dated the 21st February, 2019